जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-07.08.2025**

थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 07.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना गढ़ीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सुनील कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी मौहल्ला दयानन्दनगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी मोटर साईकिल बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 15.07.2025 को मुरसलीन पुत्र रियासत निवासी मौहल्ला दरबारखुर्द थाना कैराना जनपद शामली की मोटर साईकिल रजि0नं0 UP19R7241 को मौहल्ला कायस्थवाड़ा कस्बा कैराना से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 07.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर को चोरी की गयी मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अमित सैनी पुत्र मदन सैनी निवासी मौहल्ला रायजादगान थाना कांधला जनपद शामली हाल पता कुटनी रोड़ पहलवान चौक अशोक विहार जनपद पानीपत हरियाणा।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की गयी मोटर साईकिल हीरो स्प्लेण्डर रजि0नं0 UP19R7241।

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिक्का में हुई सड़क दुर्घटना के मामले में वांछित ट्रक चालक गिरफ्तारः-

ज्ञात हो दिनाँक 05.08.2025 को श्री बीनू पुत्र दयाचन्द निवासी ग्राम सिक्का थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली के भाई प्रमोद ई-रिक्शा से ग्राम सिक्का में सड़क पार कर रहे थे तभी ट्रक रजि0नं0 UP16MT4604 के चालक द्वारा ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर ई-रिक्शा में टक्कर मार दी जिससे प्रमोद पुत्र दयाचन्द की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर वादी श्री बीनू की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनाँक 06.08.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिक्का में हुई सड़क दुर्घटना में वांछित ट्रक चालक को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.कासिम पुत्र इरशाद निवासी रकाबगंज खुर्द करबला रोड थाना मोह दरवाजा जनपद फर्रुखाबाद।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामदः-

आज दिनांक 07.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सनोज उर्फ गोदू उर्फ अनुज पुत्र राज सिंह निवासी ग्राम आदमपुर थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 चाकू।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा महिला से दुष्कर्म करने के मामले में वाछिंत 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 05.08.2025 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत महिला के साथ दुष्कर्म कर व धमकी देने के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना झिंझाना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के सम्बन्ध पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक झिंझाना को दिये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 07.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म कर धमकी देने के मामले में वाछिंत 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सुनील पुत्र सतबीर निवासी ग्राम धनौरा थाना दोघट जनपद बागपत।

<u>थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 'ऑपरेशन क्लीन' अभियान के तहत विस्फोटक अधिनियम के 01 अभियोग में माल विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गयी।</u>

आज दिनांक 07.08.2025 को माननीय न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना शामली के आदेश दिनांकित 02.06.2025 के अनुपाल में मा0 न्यायालय द्वारा गठित टीम अभियोजन अधिकारी शामली श्री उतेश जौहरी, BDS प्रभारी जनपद सहारनपुर उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह, कार्यालय लिपिक कार्यालय लिपिक CJM कोर्ट कैराना श्री हरिनन्दन सिंह व विवेचक उ0नि0 श्री मौ0 युसुफ व हैड मोहर्रिर अमित कुमार के समक्ष अंदर मालखाने से निकलवाकर विस्फोटक अधिनियम से सम्बन्धित मालो को प्राइवेट वाहन की मदद से कैराना नहर पुल के पास जे.सी.बी.के माध्यम से गढढा खुदवाकर विनिष्टीकरण की कार्यवाही फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराते हुए की गई|

<u>नष्ट हुए माल का विवरण निम्नवत है –</u>

12 गत्ते के कारटून - जिनमें 05 कार्टूनों में 48 /48 पैकेट व 01 कार्टून में 40 पैकेट, 01कार्टून में 30 पैकेट प्रत्येक पैकेट में 10 डिब्बी कुल 3100 डिब्बी तथा 03 कार्टून प्रत्येक कार्टून में 48/48 पैकेट, 01 कार्टून में 42 पैकेट, 01 कार्टून में 44 पैकेट प्रत्येक पैकेट में 10 डिब्बी कुल 2300 डिब्बी कुल योग 5400 डिब्बीयां है।

थाना साइबर क्राइम जनपद शामली द्वारा की गयी कार्यवाही में 1,00,000/- रुपये की धनराशि आवेदक को दिलवाई गईः-

ज्ञात हो श्री संदीप चौधरी पुत्र बृजनन्दन सी0ई0ओ0 एग्रो फार्म प्रो लिमिटेड़ जनपद शामली द्वारा 25 टन गुड़ व्हाटसएप्प के माध्यम से वार्ता कर अमित वर्मा ट्रेडर्स को भिजवाया गया था। अमित वर्मा ट्रेडर्स द्वारा गुड़ की कुल कीमत 8,43,800/- रुपये में से केवल 90,000/- रुपये का ऑनलाईन भुगतान किया गया था। शेष राशि मांगने पर अमित वर्मा ट्रेडर्स द्वारा झूठे मुकदमे में फसाने की धमकी दी जा रही थी। आवेदक श्री संदीप चौधरी द्वारा थाना साइबर क्राइम जनपद शामली पर शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त दिया गया था।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक/नोड़ल अधिकारी साइबर क्राइम शामली के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन/साइबर अपराध के नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम जनपद शामली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए अमित वर्मा ट्रेडर्स के पते व मोबाईल नम्बर की जानकारी करते हुये 1,00,000/- रुपये की धनराशि आवेदक श्री संदीप चौधरी के खाते में दिलवाई गई तथा शेष धनराशि को नियत तिथियों पर देने की सहमति की गयी है। आवेदक श्री संदीप चौधरी द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक शामली, थाना साइबर क्राइम जनपद शामली का आभार व्यक्त किया गया है।

थाना साइबर क्राइम जनपद शामली टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्रीमती सीमा शर्मा साइबर क्राइम थाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री नवीन कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।

3.है0का0 विकास कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।

4.का0 सचिन कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।

5.म0का0 तोषी ठाकुर साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अलग-अलग 02 मामले में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2012 में अभियुक्त नफीस पुत्र रहीसु निवासी मौहल्ला बूढा बाबू थाना कोतवाली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 231/2012 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 07.08.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 1998 में अभियुक्त असगर पुत्र युसुफ निवासी गन्दराऊ थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 247/1998 धारा 39 ई0सी0 एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 07.08.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI